न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामसर

पीठासीन अधिकारी :–श्री राम लाल मीणा आर.ए.एस..

राजस्व आवेदन संख्या –17/2026

उनवान

प्रार्थीगण

1.श्रीमती अनी देवी पत्नी श्री देरामा राम
2.कलाराम पुत्र देरामाराम
3.हेमाराम पुत्र देरामाराम
4.हीराराम जाखड पुत्र देरारामाराम
जाति जाट निवासी भाचभर तहसील
रामसर जिला बाडमेर।

विप्रार्थीगण

1.श्री चंन्दनसिंह पुत्र परबतसिंह
2.श्री भूरसिंह पुत्र पीरसिंह
3.श्री मूलसिंह पुत्र पीरसिंह
4.श्री सादूलसिंह पुत्र पीरसिंह
5.श्री अर्जूनसिंह पुत्र देरावरसिंह
6.श्री गिरधरसिंह पुत्र इन्द्रसिंह
7.श्री गोपालसिंह पुत्र श्री सवाईसिंह
8.श्री तनसिंह पुत्र श्री सवाईसिंह
9.श्री लोकेन्द्रसिंह पुत्र कानसिंह जाति राजपूत
निवासी भाचभर तहसील रामसर जिला बाडमेर।
10.किसनाराम पुत्र रणछोडाराम
11.दीपाराम पुत्र रणछोडाराम
12.श्री हडमानराम पुत्र रणछोडारामजाति जाट निवासी
भाचभर तहसील रामसर जिला बाडमेर।
13. तहसीलदार (भू.अ.)रामसर, जिला–बाड़मेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 वास्ते नेखमबंदी

दिनांक :–**25.02.2026**

प्रार्थी की ओर से प्रार्थीगण वकील श्री रविद्र कुमार गोदरा द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय में दिनांक **19.01.2026** को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मौजा **भाचभर** पटवार मण्डल **भाचभर**, भूअनि खड़ीन के खसरा संख्या क्रमशः 272,**470/270,478/280**रकबाक्रमशः 0.6961**6.4102,1.3193** हेक्टयर,किस्म भूमि गैर मुमकिन धोरा एंव बा.सो. उनके खाते की कृषि भूमि अवस्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि के विप्रार्थीगण पड़ोसी खातेदार है। प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य आराजियात के सीमा चिह्न नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिससे कि प्रार्थी अपने खेत की पक्की नेखमबंदी कराना चाहते है। आवेदन स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रकरण के अवलोकन में यह तथ्य प्रमाणित है कि विवादित आराजी प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि है और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खेत की कृषि भूमि की नेखमबंदी करवाने का हकदार है। विप्राथीगण को नोटिस रजिस्टर्डडाक से जारी होने के बावजूद बाद तामिल विप्रार्थी संख्या 1 से 12 अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

बहस सुनी गई।पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायाहित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरूद्ध विप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर मौजा **भाचभर** पटवार मण्डल **भाचभर** , भूअनि खड़ीन के खसरा संख्या क्रमशः 272,**470/270,478/280** रकबा क्रमशः 0.6961**6.4102,1.3193** हेक्टयर,किस्म भूमि गैर मुमकिन धोरा एंव बा.सोभूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार रामसर को 1000/– अक्षरे रूपये एक हजार रूपये मात्र पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। तहसीलदार रामसर को निर्देश दिये जाते है कि वे उपरोक्त [illegible] का स्थगन एवं मौके पर फसल खड़ी होने की स्थिति में नेखमबंदी की कार्यवाही नहीं की जा[illegible]सरकार द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों/अधिसूचनाओं में दिये गये दिशा–निर्देश[illegible] को आधार मानकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की नेखमबंदी की कार्यवाही की जा[illegible] प्रकरण में दर्ज सभी प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण को लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करते हुए उनकी उपस्थिति [illegible] खसरें

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Lal Meena
Date: 2026.04.04 15:58:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी रामसर

Scanned with OKEN Scanner

के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करवाये जावें। कमिश्नर शुल्क प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। आवश्यकतानुसार तहसीलदार रामसर को संबंधित पुलिस थाने से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी की समयबद्ध पालना की जाकर पालना रिपोर्ट से अवगत करावें।

यह आदेश आज दिनांक 25.03.2026 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर लगाकर निर्णय सरे ईजलाश सुनाया गया।

25/3/2026

(राम लाल मीना)
उपखण्ड अधिकारी रामसर
दिनांक : 25/3/2026

क्रमांक : रीडर/2026/222-25

प्रतिलिपि :–

1.तहसीलदार रामसर को भेजकर लेख है कि प्रकरण में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही कर 15 दिवस में पालना से न्यायालय को अवगत करावें।
2.थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/रामसर।
3.प्रार्थीनीश्रीमती अनी देवी पत्नी श्री देरामा राम
4.विप्रार्थीगण चंन्दनसिंह पुत्र परबतसिंहवगेराह।

25/3/2026

उपखण्ड अधिकारी रामसर

उपखण्ड अधिकारी रामसर जिला-बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Lal Meena
Date: 2026.04.04 15:58:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner